पुस्तिका संख्या.............

SUNCITY
HI-TECH PROJECTS

SUNCITY anantam

सनसिटी हाई-टेक टाउनशिप, वृन्दावन मे

दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग हेतु किफायती

# आवासीय योजना

# अनंतम कुँज

## पंजीकरण पुस्तिका

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory


SUNCITY
HI-TECH PROJECTS

**Corporate Office**
Suncity Business Tower,
Second Floor, Golf Course Road, Sector - 54,
Gurgaon -122002, Haryana, India
Ph: 0124 - 469 1000124 - 4691010

**Site Office**
Suncity Anantam, Opposite
Police Station Jait Near Petrol Pump
NH-2, Vrindavan - 281402

**Registered Office**
LGF - 10, Vasant Square,
Plot - A, Sec - B, Pocket- V, Community Centre
Vasant Kunj, New Delhi - 110070 ( India)

0124 - 469 1000124 - 4691010
info@suncityprojects.com
www.suncityprojects.com

86509-99400
www.suncityanantam.com


For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

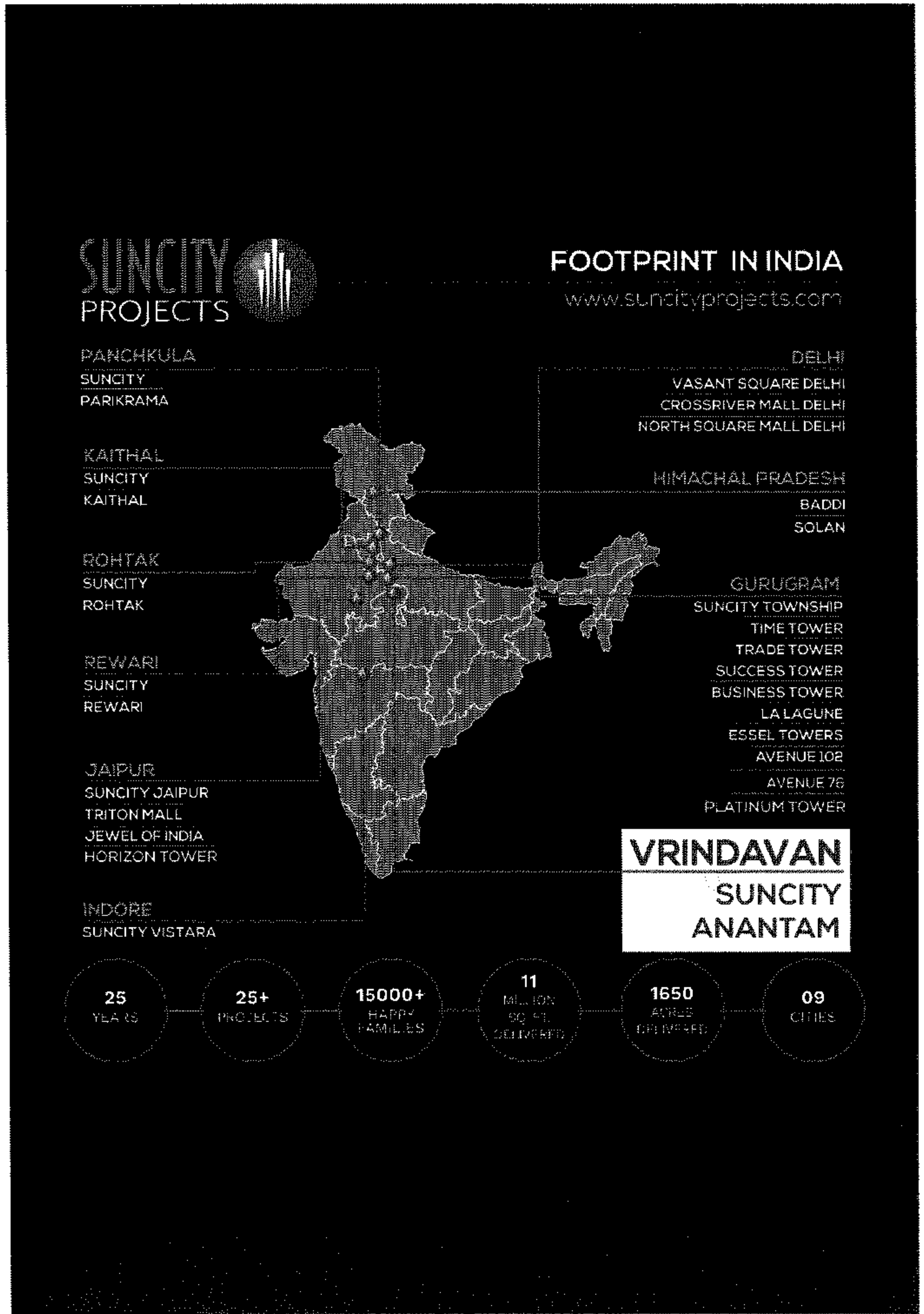


For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

SUNCITY anantam

सनसिटी हाई–टेक प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
प्रस्तावित("अनंतम कुँज") – ई.डब्लू.एस (दुर्बल आय वर्ग)
एवं एल.आई.जी. अल्प आय वर्ग के प्रार्थियों हेतु भवनों की योजना

SUNCITY HI-TECH PROJECTS

## विवरण पुस्तिका

1 योजना का विवरण

"अनंतम कुँज" –सनसिटी हाई–टेक टाउनशिप, मथुरा
विकासकर्ता कम्पनी –सनसिटी हाई–टेक प्रोजेक्ट्स प्रा. लि

2. भवनों के नाम

("अनंतम कुँज") – ई.डब्लू.एस (दुर्बल आय वर्ग)
("अनंतम कुँज") – एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास वृन्दावन, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण /आवास विकास परिषद् इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट,किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणें अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।
- आवेदक को"अनंतम कुँज",(ई.डब्लू.एस).(दुर्बल आय वर्ग) अथवा"अनंतम कुँज"(एल.आई.जी.अल्प श्रेणी हेतु निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय कमशः रु 1,00,000/–से रु 3,00,000/– (ई.डब्लू.एस). व रु3,00,000–से रु6,00,000/– (एल.आई.जी). से अधिक नहीं होनी चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र भी संलग्न करें
- आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना–पत्र के साथ जमा करना होगा।
- आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

4. भवनों का विवरण

| क्र.स. | वर्ग | बिल्टअप एरिया | कार्पेट एरिया | आवास का प्रकार | बी.एस.पी. (रूपये) | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | ई.डब्लू.एस. | 35.14 वर्ग मी.<br>378.25 वर्ग फुट | 29.16 वर्ग मी.<br>313.87 वर्ग फुट | 1 रूम, टॉयलेट, व किचन | भूतल – रू.5.55 लाख<br>प्रथमतल – रू.4.75 लाख<br>द्वितीयतल – रू.4.25 लाख<br>तृतीयतल – रू.3.52 लाख | 60<br>60<br>60<br>60 |
| 2- | एल.आई.जी. | 42.45 वर्ग मी.<br>456.93 वर्ग फुट | 34.12 वर्ग मी.<br>367.27 वर्ग फुट | 1 रूम, ड्राइंग,डाइनिंग किचन व टॉयलेट | भूतल – रू.10.25 लाख<br>प्रथमतल – रू.9.51 लाख<br>द्वितीयतल – रू.9.00 लाख<br>तृतीयतल – रू.8.51 लाख | 60<br>60<br>60<br>60 |

नोट :

1. प्रत्येक भूखण्ड पर इकाईयों की संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 10 पर उपस्थित मानचित्र के साथ दी गयी है।
2. उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
3. उपरोक्त"फलैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का टैक्स जी.एस.टी. आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
4. आवंटन के पश्चात वांछित धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अवधि में जमा न करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
5. विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे।
6. "अनंतम कुँज" ( ई.डब्लू.एस). (दुर्बल आय वर्ग) के भवनों का 35.14 वर्ग मीटर प्रतिभवन निर्धारित क्षेत्रफल है, भवन में एक लिविंग/बेडरुम हेतु कक्ष टॉयलेट व किचन स्पेस है तथा "अनंतम कुँज", एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के लिए प्रस्तावित भवनों का 42.45 वर्ग मीटर प्रतिभवन निर्धारित क्षेत्रफल है, भवन में एक लिविंग रुम, एक बैडरुम, टॉयलेट व किचन स्पेस है।
7. विकासकर्ता द्वारा बैंकों से ण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी।
8. भविष्य में हडको/केन्द/राज्य सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट के मानक पुनरिक्षित करने पर यथावत् लागू होंगे।

तरदीद/अस्वीकरण:इस बुकिंग फॉर्म में वर्णित सभी विषय वस्तु, नियम व शर्तें भू–सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 तथा सम्बन्धित नियम व विनियम के द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे जहाँ तक संशोधन करना समीचीन होगा। और यदि आवश्यक हुआ तो भू–सम्पदा विनियमक प्राधिकरण **RERA** के अन्तर्गत सीमित प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित मानक प्रारुपों व प्रापत्रे को निष्पादित किया जाएगा जिस हेतु पक्षकार तत्पर रहेंगें।

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

5. आवंटी/आवेदन की मृत्यु की दशा में

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

6. आरक्षण

6.1 शासनादेश के अनुसार"अनंतम कुँज"(ई.डब्लू.एस.) तथा"अनंतम कुँज"(एल.आई.जी.) श्रेणी में आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा:-

| क्रमांक | वर्ग | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति | 21 |
| 2. | अनुसूचित जनजाति | 02 |
| 3. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 |
| 4. | विधायक/सांसद व स्वतंत्रता सेनानी | 05 |
| 5. | सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो | 05 |
| 6. | उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व | |
| | स्थानीय निकायों के कर्मचारी | 02 |
| 7. | भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित | 03 |
| 8. | समाज के विकलांग व्यक्ति (शासनादेश दिनांक 19.12.2011) | 03 हॉरिजोंटल |

6.2 प्रार्थना-पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का घोषणापत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा।

6.3 "अनंतम कुँज"ई.डब्लू.एस. तथा"अनंतम कुँज"एल.आई.जी. हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारुप संलग्न है। सभी भवन सामान्य श्रेणी के होंगे।

6.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्ध जनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरुप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्ध जनों क लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोन्टल होगा।

6.5 वृद्ध जनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

6.6 आरक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

6.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत सुरक्षा सैनिक से है।

6.8 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

6.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994 अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्यपिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

6.10 बिन्दु 6.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

6.11 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।

6.12 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होगी तो विवरण पुस्तिका मेंदी गई नियम व शर्तों में संशोधन किये जाऐंगें।

6.13 प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देश/नियम शर्तें भी यदि इस योजना पर लागू होती हैं तो उनका भी समायोजन इस योजना पर प्रभावी होगा।

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory





7 आवंटन

7.1 भवनों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

7.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रुप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध होगा।

7.3 जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी में निहित रहेगा।

7.4 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र रद्द कर दिये जायेगें।

7.5 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन-पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई बाधा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.6 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करे।

7.7 भवनों का आवंटन ''फ्री-होल्ड'' के आधार पर किया जायेगा, जिसके विक्रय हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्ध रहेगा ।

8 पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

8.1 असफल आवेदकों का आवंटन न होने की दशा में 60 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
8.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के कुल मुल्य का 10 प्रतिशत (लागू कर के अलावा) कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के आवेदक को वापस कर दी जायेगी या जो कि तत्समय प्रवर्तनशील कानुन के अनुसार होगी।

9 तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ले। इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

10 "फ्लैट्स का कब्जा

10.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धान निष्पादन के साथ ही आवंटी को "फ्लैट् का कब्जा दिया जायेगा।

10.2 निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।

10.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं "फ्लैट् का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम् तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को "फ्लैट् का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा, तथा विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को देरी से किये गए भुगतान पर ब्याज, लागू कर व आवेदन धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा।

10.4 निर्माण पूर्ण करने हेतु दिया गया समय दैविक आपदा, एवं ऐसी समस्त परिस्थितियाँ जो कि विकासकर्ता के उचित नियंत्रण के परे हों, आदि अपरिहार्य स्थिति में बढ़ सकता है।

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

10.5 (क) आवंटन तिथि से 5 वर्ष के भीतर भवन पूर्ण कर पूर्ण भुगतान किये गये आवंटी को भवन का भौतिक कब्ज़ा प्रदान किया जाएगा।

10.5 (ख) आवंटन तिथि से 5 वर्ष में भवन का निर्माण न होने पर अर्थात डिफाल्ट की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि का 15 प्रतिशत वार्षिक क्षतिपुर्ति आवंटी को देय होगी अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगी।

10.5 (ग) आवंटन के पश्चात वांछित/देय धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अवधि में आवंटी द्वारा जमा न करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगा।

10.6 यदि आवंटी द्वारा अनुबन्ध निबन्धन कराकर कब्ज़ा प्राप्त कर लिया जाता है और समय से धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है अथवा किसी कारणवश आवंटी द्वारा धनराशि वापस करने का आवेदन दिया जाता है तो पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त जमा धनराशि वापस की जायेगी।

11. शुल्क/कर आदि की देयता
नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

12. अन्य सामान्य नियम व शर्तें
12.1 आवंटन के पश्चात् मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासनद्वारा इनमें किये गये संशोधान/परिवर्तन/परिवर्धान लागू एवं मान्य होंगे।

12.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक का नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।

12.3 किसी भी प्रकार के वादों का क्षेत्राधिकार मथुरा स्थित न्यायालयों को होगा।

13. पंजीकरण प्रक्रिया
13.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रु50.00 जी.एस.टी.सहित नगद भुगतान पर कार्य दिवसों में निर्दिष्ट-Suncity Anantam, Opposite Police Station- Jait, Near Petrol Pump,NH-2 Vrindavan - 281402 / Suncity Business Tower, Second Floor, Golf Course Road, Sector - 54, Gurgaon - 122002, Haryana, India शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

13.2 पंजीकरण प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.suncityprojects.com से डाउनलोड करके भी प्राप्त किये जा सकते है। ऐसे आवेदन पत्रें पर पंजीकरण धनराशि के साथ पंजीकरण प्रपत्र हेतु रु50.00 जी.एस.टी. सहित का अलग से भुगतान करना होगा।

13.3 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक ....................2020 से ....................2020 तक किसी भी कार्य दिवस में निर्दिष्ट वृन्दावन साइट ऑफिस शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

14. विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रुपेण भरें
14.1 पंजीकरण धानराशि का ड्राफट/पे-आर्डर, सनसिटी अनंतम कुंज के पक्ष में देय होगा।
14.2 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारुप का रु 10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
14.3 पूर्ण रुप से भरे आवेदन-पत्र वृन्दावन साइट ऑफिस में अंतिम तिथि से पूर्व कार्य दिवसों में जमा किये जा सकते हैं।
14.4 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विज्ञापन के अनुसार होगी।

15. पंजीकरण हेतु अधिकृत स्थान जहाँ पंजीकरण फार्म प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं

1. Suncity Anantam,Opposite Police Station- Jait, Near Petrol Pump,NH-2 Vrindavan - 281402

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory





16 आवेदन-पत्र भरने के लिये अनुदेश
16.1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रुप से हिन्दी एवं अंग्रजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।
16.2 शासनादेश के अनक्रम में "फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रुप से किये जाने की भी व्यवस्था है।
16.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र को दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये।
16.4 आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाईल नम्बर एवं ई-मेलपता दिया जाना अनिवार्य होगा।
16.5 आवेदक द्वारा प्रत्येक बार किश्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढ़ंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी एवं एक सप्ताह के उपरान्त वेबसाइट से आप स्वयं भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं।

17. आवेदक द्वारा ई.डब्लू.एस. अथवा एल.आई.जी. "फ्लैट की धानराशि इस प्रकार देय होगी :

| | |
|---|---|
| At the Time of Booking | EWS - RS. 15,000/<br>LIG - RS. 25,000/ |
| Within 15 Days of Allotment | 10% of BSP ( Less Booking Amount ) |
| Within next 45 Days Allotment | 10% 0f BSP |
| Within next 90 Days of Allotment | 10% 0f BSP |
| On Start of Excavation | 10% of BSP |
| On Casting of Ground FLoor Roof Slab | 10% of BSP |
| On Casting of First Floor Roof Slab | 10% of BSP |
| On Casting of Second Floor Roof Slab | 10% of BSP |
| On Casting of Third Floor Slab | 10 % of BSP |
| On Start of Internal Plaster | 10% of BSP |
| On Start of Flooring | 05% 0f BSP |
| On Offer of Possession | 05% of BSP+Stamp Duty Registration & Other Charges(if Any) |

GST will be extra as per applicable

18. जाँच-सूची
फार्म को जमा करने से पूर्व कृप्या निम्नलिखित सूची को अवश्य जाँच लें।
जाँच सूची

1. आवेदन-पत्र फोटो के साथ पूर्ण रुप से भरा गया है? ☐
2. आवेदन-पत्र उचित रुप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर हैं? ☐
3. आवेदन धनराशि का चैक सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक हैं? ☐
4. आवेदक की आय के साक्ष्य तथा आरक्षण कोटे के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है? ☐
5. मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है? ☐
6 शपथ-पत्र उचित रुप से निष्पादित व नोटरी से सत्यापित है? ☐

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

SUNCITY anantam

SUNCITY HI-TECH PROJECTS

रु०10/- के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित
शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ........................ उम्र .............. वर्ष
.............. पुत्र/पुत्री/पत्नी ........................ निवासी ........................
.............. शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ:

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख विवरण-पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट रुप से समझ लिया है तथा मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित परियोजना में भवन के आवंटन के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।

3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त कम्पनी को दूँगा/दूँगी।

4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।

5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तिय वर्ष ..................में समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय रु.............../- थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबधियों की आय सम्मिलित है।

6. मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहे गये कथन सत्य हैं। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर कम्पनी को दिया गया है तो कम्पनी को मेरे विरुद्व) जो उपयुक्त समझे,कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन:

मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास में सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर.

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory



SUNCITY anantam

SUNCITY HI-TECH PROJECTS

सनसिटी हाई-टेक टाउनशिप, मथुरा
अनंतम कुँज - ई.डब्लू.एस (दुर्बल आय वर्ग)
(एवं एल.आई.जी.) (अल्प आय वर्ग) के प्रार्थियों हेतु भवनों की योजना

फार्म संख्या ..............

| आवेदक का नवीनतम फोटोअनिवार्य है। |
| --- |
| आवेदक का नवीनतम फोटोअनिवार्य है। |

1. योजना का नाम ........................
2. आवेदक का नाम (हिन्दी) में 1. .................. 2. ..................
(अंग्रेजी) में 1. .................. 2. ..................
..................
3. पिता/पति का नाम 1. .................. 2. ..................
4. आयु 1. .............. 2. .............. (संयुक्त आवेदन की दशा में विवरण भरा जाये)
5. पता(अ) वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) ..................
.................. पिनकोड.............. टेलीफोन नं0..................
(ब) स्थायी पता ..................
.................. पिनकोड.............. टेलीफोन नं0..................
6. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें) ..................
(आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) ..................
7. पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण
बैंक का नाम .................. शाखा का नाम ..................
खाता न. .................. आई एफ एस सी कोड ..................
8. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण, दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.)/अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.)पंजीकरंण धनराशि रु0.............. (शब्दो में) ..................
शाखा .................. पता..................
9. आवेदक का व्यवसाय ..................वार्षिक आय .................. प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
10. आवेदक के परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण -

| नाम | आयु | सम्बन्ध |
| --- | --- | --- |
| 1.................. | .............. | .............. |
| 2.................. | .............. | .............. |
| 3.................. | .............. | .............. |
| 4.................. | .............. | .............. |

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तो को जो शासनादेश संख्या 3267/8-1-16-80 vivid /10 दिनांक 24-10-2016 में दिए गए हैं को भली-भांति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ। मैं/हम ये भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा उन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदकों/आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक :

1. ........................................

2. ........................................

3. ........................................ 1........................ नाम ........................................

4. ........................................ 1........................ नाम ........................................

दिनांक ........................................

------------------बैंक के प्रयोग हेतु---------------

------ड्राफट संख्या ........................................दिनांक ........................................ बैंक का नाम

/शाखा ........................................................................धनराशि रु0........................................

विकासकर्ता कम्पनी के खाते में धनराशि जमा होने की तारीख ........................................

बैंक की मुहर एंव हस्ताक्षर

------------------कार्यालय के प्रयोग हेतु---------------

पंजीकरण का दिनांक ........................................आवंटित पंजीकरण संख्या ........................................

आवंटित भवन संख्या ........................................आवंटन पत्र संख्या ........................................

एवं निर्गत होने की तिथि ........................................

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर ........................................

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

नाम स्पष्ट अक्षरों में ........................................

Director / Auth. Signatory



### घोषणा-पत्र

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।

2. मेरे या मेरे परिवार (पति/पत्नी तथा आश्रित/अवयस्क बच्चों एवं तलाकशुदा पुत्री) के पास वृंदावन नगर में, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्/अन्य विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धानराशि जब्त कर ले। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरुपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरुप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर लें।

3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकार के सम्बन्धा में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि) होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनरुप भुगतान करुँगा/करुँगी।

4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करुँगा/करुँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण से मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वो सत्य हैं।

6. मरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य होगा।

7. मैने शासनादेश संख्या 5899 दिनांक .................... में निर्धारित शर्तो का अवलोकन कर लिया है तथा उसके अधीन इस योजना में भवन प्राप्त करने की अर्हता रखता हूँ।

साक्षी आवेदक के हस्ताक्षर

........................................ ........................................

........................................ ........................................

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

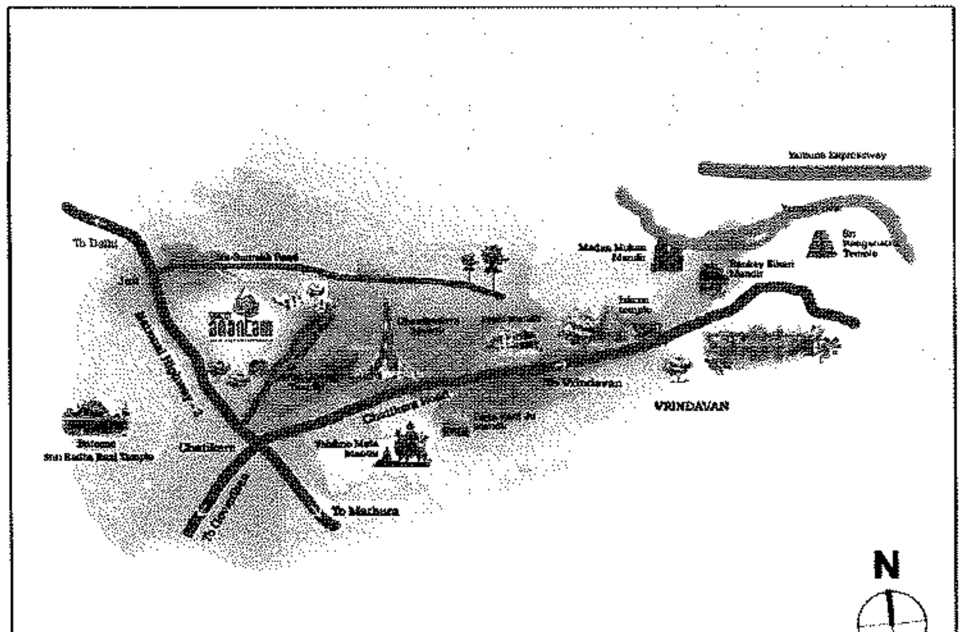


**LOCATION MAP**

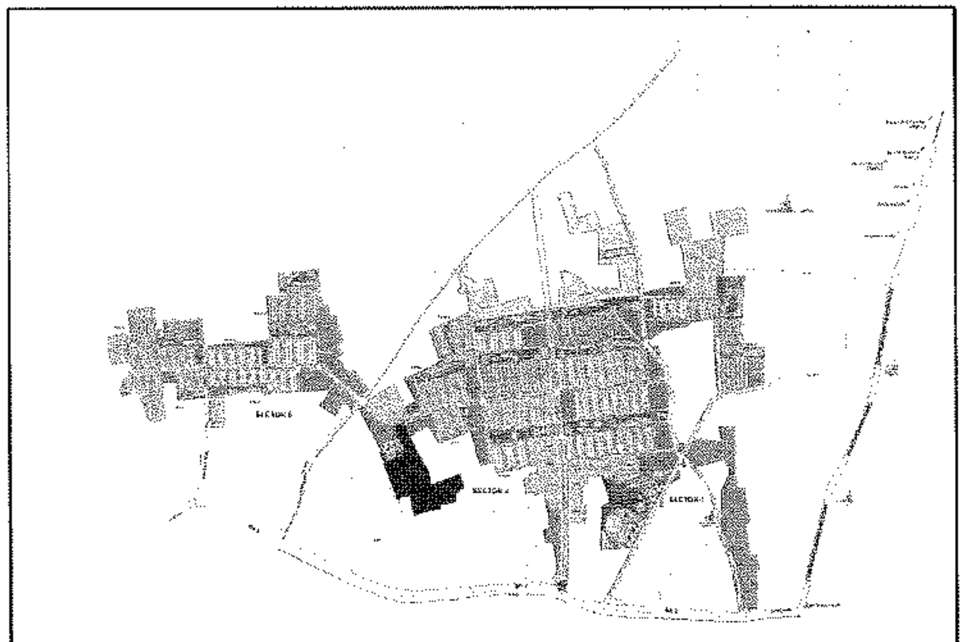

**ANANTAM EWS - KEY PLAN**

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory



SUNCITY anantam
THE HI-TECH CITY • VRINDAVAN

SUNCITY HI-TECH PROJECTS

**APPROVED**
RERA • M.V.D.A • BANKLOAN

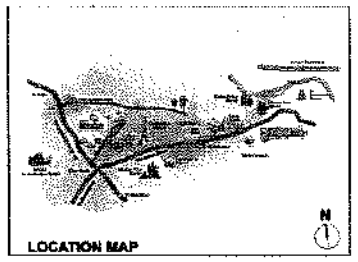

LOCATION MAP

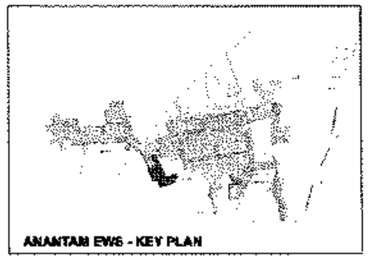

ANANTAM EWS - KEY PLAN

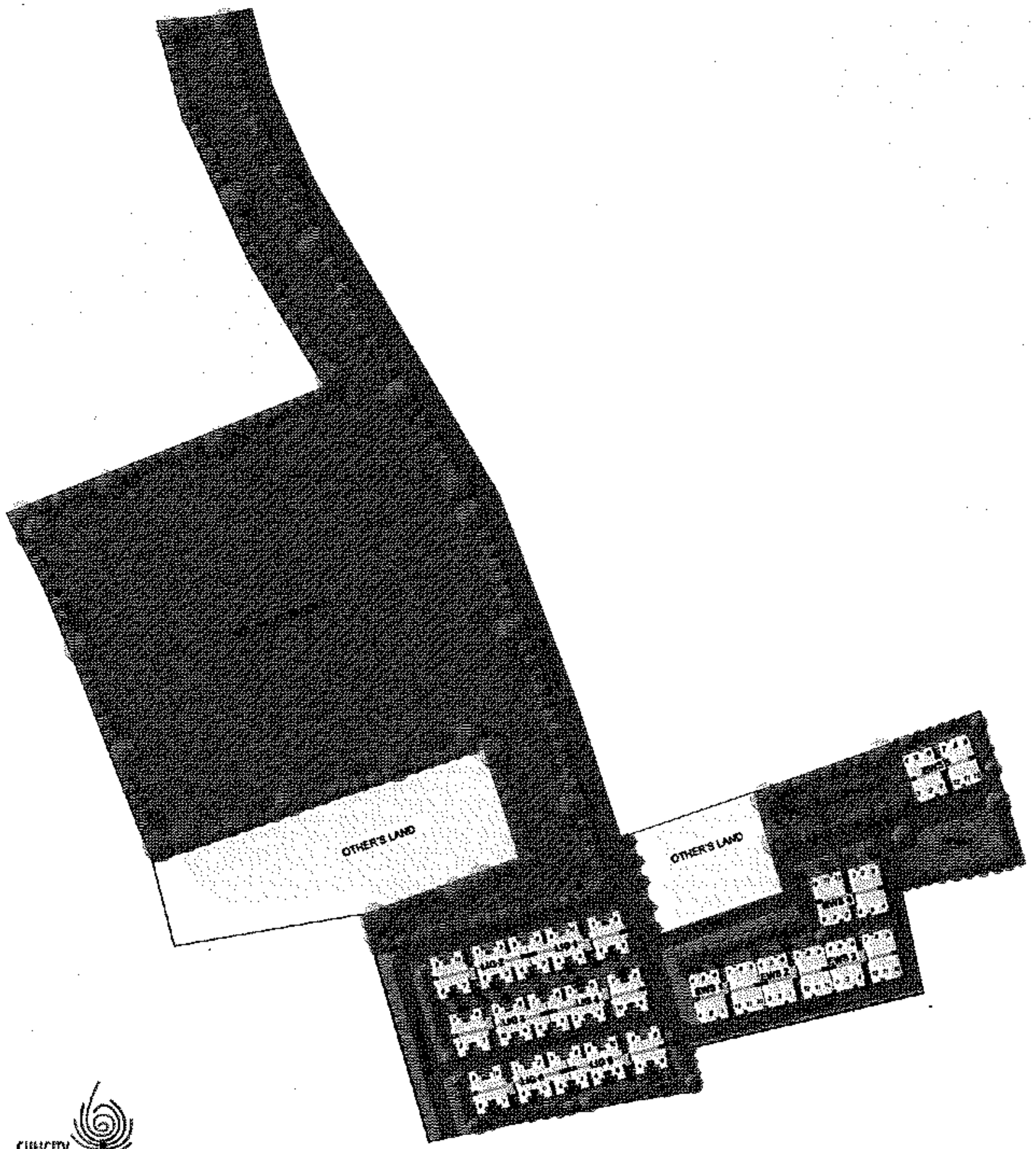


SUNCITY anantam
THE HI-TECH CITY • VRINDAVAN

LAYOUT PLAN

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

## CLUSTER-LIG-PLAN

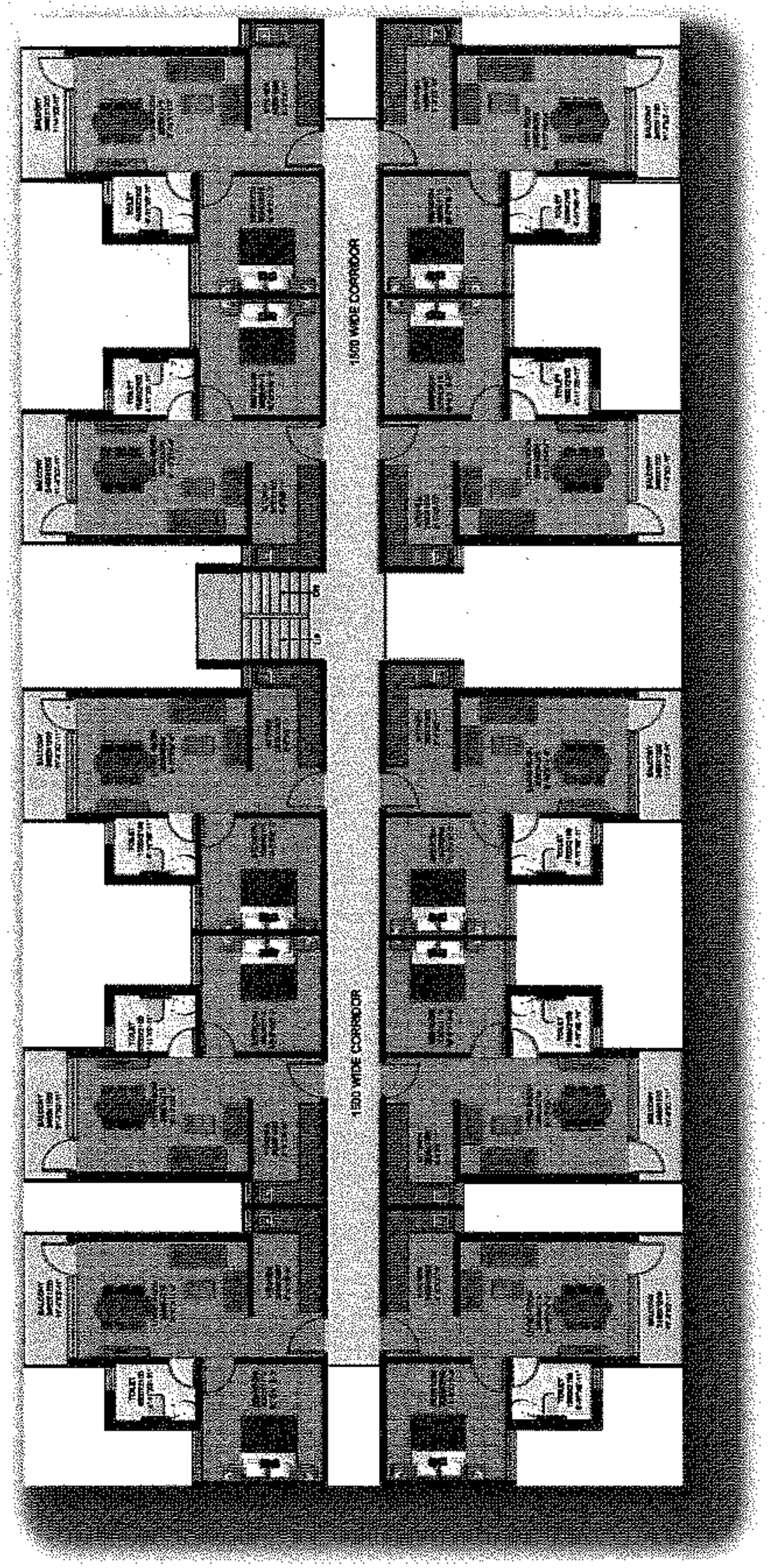


For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory



## CLUSTER-EWS-PLAN

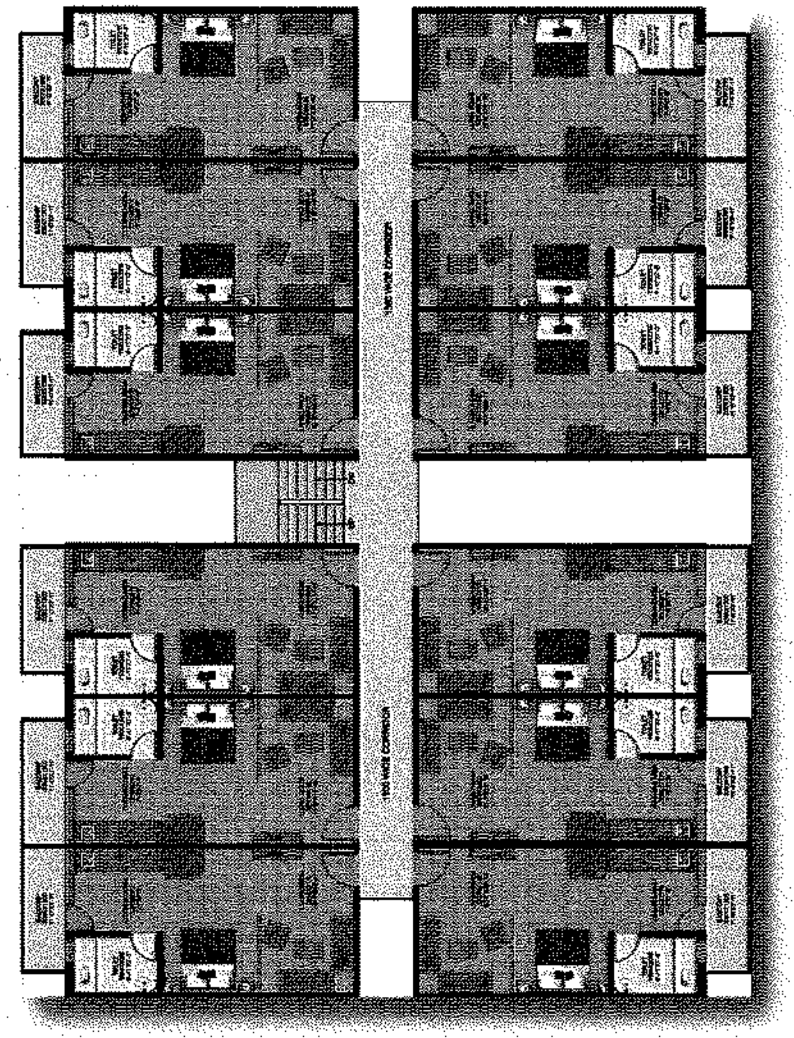

For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

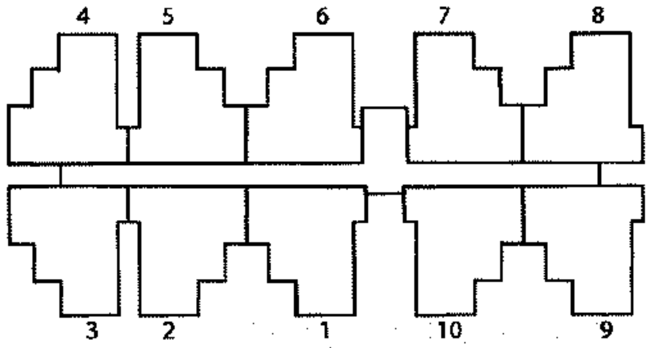


## FIOOR PLAN- LIG

BUILT UP AREA
42.45 sq.m / 456.93 sq.ft
CARPET AREA
34.12 sq.m / 367.27 sq.ft

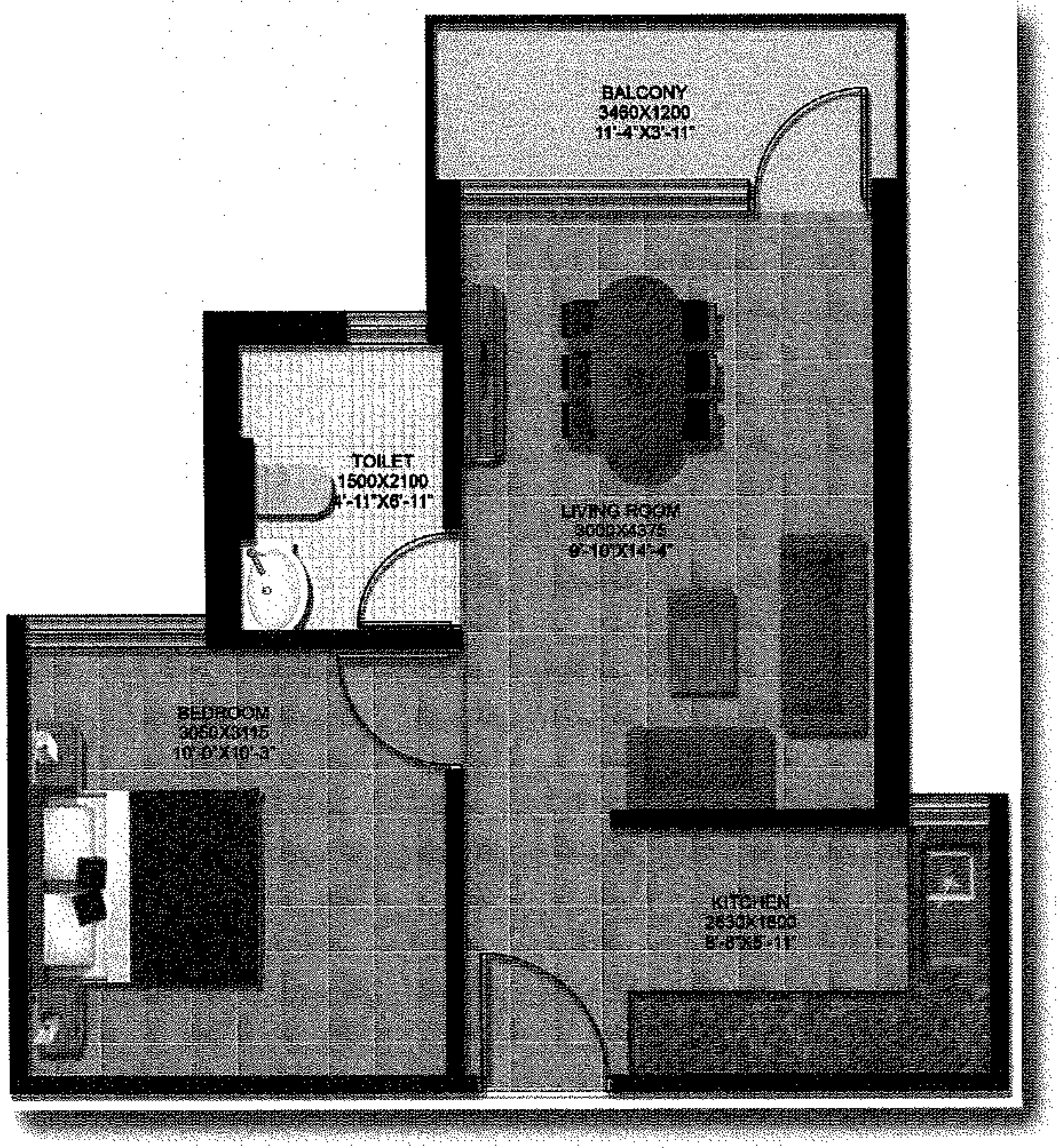


For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory



## FLOOR PALN-EWS

BUILT UP AREA
35.14 sq.m / 378.25 sq.ft
CARPET AREA
29.16 sq.m / 313.87 sq.ft

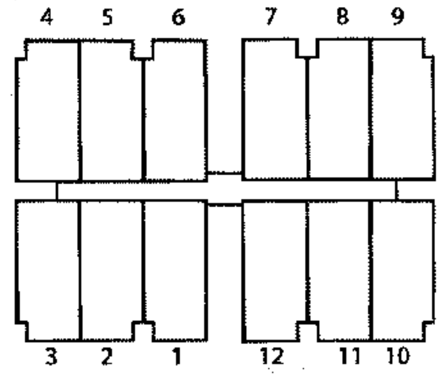


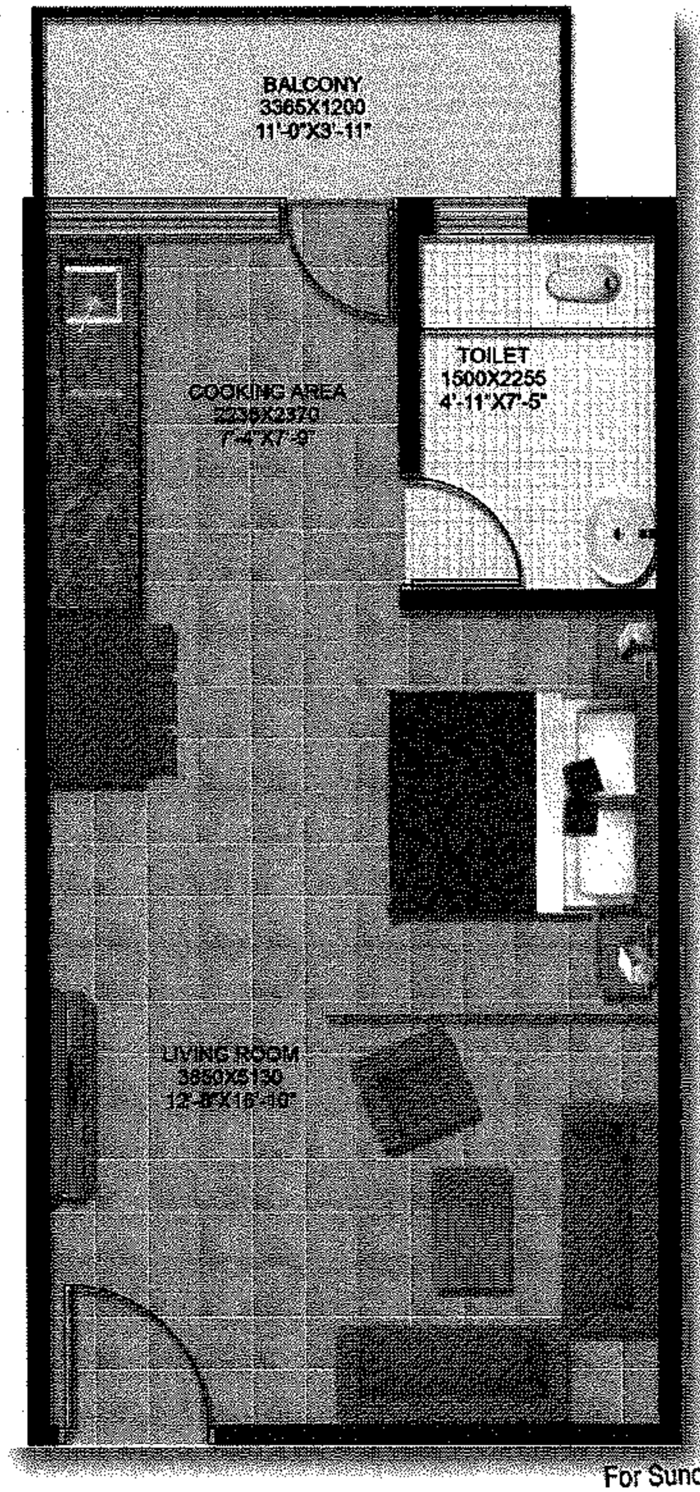


For Suncity Hi-Tech Projects Pvt. Ltd.

Director / Auth. Signatory

| Location | Flooring | Door/Window | Painting | Dado | Plumbing & Sanitary | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Average 25mm thick CC flooring | For main entrance 35mm thick flush door with 35x35x5 MS angle Iron frame along with 2 nos. of tower bolts of 6"/9"as suitable with two no. of handles and no. of 12" MS aldrop. All Windows will be T & Z section with glass panes. | Inside - Two coat of whitewash for wall and ceilling Outside - two coats of color wash for walls. Door/ window frames - one coat of primer and one coat of oil paint. | | WC-Indian type of 18" ceramic. | One No. of Fan hook and PVC conduit pipe in slab. |
| Kitchen | Average 25mm thick CC flooring | | | 150mm dado with cement punning | 1 No. 1/2" PVC Tap (Good Quality). 1 No. 4" PVC nahani trap with jalli. Heavy duty PVC solvent pipe for all water line | Per cast Kitchen platform of size 450x1000 mm |
| Toilets | Average 25mm thick CC flooring | Flush door panels with angle iron frame along with 2 Nos. of tower bolts and 2 no. of handles. | | 450mm dado with cement punning | 2 No. of 1/2" PVC Tap (Good Quality).1 No. 4" dia PVC nahani trap with jalli. 4" dia PVC pipe for soil & waste water line. Heavy duty PVC solvent pipe for all water line. | |
| Structure | | Earthquake resistant RCC/Load bearing structure | | | | |